



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-17102025-266987
CG-BR-E-17102025-266987

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4583]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4583]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

महेन्द्रघाट, 8 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4712(अ).— रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खण्ड 37 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल के द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के तहत “नवादा – पावापुरी नई लाईन (25.1 कि०मी०)” परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसलिए पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के तहत “नवादा – पावापुरी नई लाईन (25.1 कि०मी०)” परियोजना को बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया जाता है।

[फा. सं. ECR-HQoENGG(GEN)/008/2025]

रामाश्रय पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/दक्षिण

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Mahendrughat, the 8th October, 2025

S.O. 4712(E).— In Exercise of power conferred under clause 37A of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, General Manager/East Central Railway has approved to declare "Nawadah-Pawapuri New line (25.1 Km)" under Danapur Division of East Central Railway as **Special Railway Project**. Therefore "Nawadah- Pawapuri New line (25.1 Km)" under Danapur Division of East Central Railway is declared **Special Railway Project** in the State of Bihar.

[F. No. ECR-HQoENGG(GEN)/008/2025]

RAMASHRAY PANDEY, Chief Admin. Officer/Con/South